

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2019 राजस्व अपील

1. रामखिलाडी उम्र 50 वर्ष पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 14.08.2019 न्यायालय तहसीलदार तहसील सिकराय अन्तर्गत मु. नं. 65/2019 ब अनुवानी प्रकरण सरकार बनाम रामखिलाडी अ. धारा 91 एल आर एक्ट

उपस्थिति : श्री गोस्धन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक: 04.10.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय में अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त ने सम्वत 2076 में ग्राम गांगदवाडी में स्थित भूमि आराजी खसरा नं. 1109/18 कुल रकबा 24.44 है. किस्म चरागाह भूमि में से 0.35 है. भूमि पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को नोटिस जारी किया एवं अपीलान्त को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया व अपीलान्त के पीठ पीछे से अपीलान्त पर शास्ति आरोपित करने के साथ ही अपीलान्त अतिक्रमी को दिनांक 14.08.2019 को तीन माह -(90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं न्याय की सामान्य प्रक्रियाओं के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया।



  
प्रति० जिला कलेक्टर  
दौसा




अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहुत ही आरबीट्रेरी व कैप्रिशियस है। अपीलान्त ने किसी भी राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि 1109/18 रकबा 0.35 है। भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.2019 में से तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।


जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त नें संवत् 2076 में ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी भूमि खसरा नं०. 1109/18 कुल रकबा 24.44 है। किस्म चरागाह भूमि में से 0.35 है। पर बाजरे की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 14.08.2019 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने पर अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि 1109/18 रकबा 0.35 है। भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्त द्वारा प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार सिकराय द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.08.2019 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

  
(लोकेश कुमार मीना)  
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

  
(लोकेश कुमार मीना)  
अति० जिला कलक्टर, दौसा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

